

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
वैशाली।

पटना दिनांक 16/6/2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 219 दिनांक 09.07.2026 के आलोक में दिनांक 06 से 08 मार्च, 2026 तक त्याग संस्था वैशाली द्वारा तीन दिवसीय सेमिनार-सह-उत्सव के आयोजन के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष '2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन', विपत्र कोड 08-2205001020101, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में तत्काल कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र का आवंटन आपके निस्तराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसूचना 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा जिला कोषागार, वैशाली से की जायेगी तथा राशि का व्यय बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार खरीद अधिमानता नीति के संगत प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन,

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापांक 86/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 86/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/मेकर बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 16/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।